IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जिला बैतूल की शहरी एवं ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में आर्थिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन

काजल जायसवाल
शोधार्थी

डॉ॰ ललित मोहन चौधरी
सहायक प्राध्यापक श्री सत्यसाँई यूनिवर्सिटी
आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, सिहोर मप्र

(सारांश)

(अनुसूचित जनजाति समुदाय मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज है जिसमें कृषक हस्तशिल्प में संलग्न कारीगर तथा द्वितीयक या निम्न सेवाओं में संलग्न व्यक्ति इस अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख अंग है। इन तीनों वर्गों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कृषि हस्तशिल्प से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय में महिलाओं ने परम्परागत रूप से सक्रिय योगदान दिया है। अधिकतर बाजार स्थानीय प्रवृति के थे या उन तक सरलता से पहुँचा जा सकता था। प्राचीन भारत में महिलाओं को आर्थिक.जीवन में भाग लेने का जितना अवसर प्राप्त था वह मध्ययुगीन भारत में निरन्तर कम होता चला गया। पर्दा.प्रथा के प्रचलन तथा स्त्रियों के क्रिया. कलाप के सम्बन्ध में विकसित नवीन मान्यताओं एवं निषेधों के कारण स्त्रियाँ जीवन में अपेक्षाकृत कम भाग लेने लगीं)

1. प्रस्तावना

किसी भी जनसंख्या की सामाजिक परिस्थिति का सम्बन्ध उसके आर्थिक स्थान से अत्यन्त घनिष्ठ है। आर्थिक परिस्थिति का तात्पर्य आर्थिक क्रिया.कलाप में भागीदारी का अवसर, अधिकार एवं भूमिका से है। महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति को समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी प्रकार की विकास प्रक्रियांएं महिलाओं के आर्थिक स्तर को उन्नत करती हैं। महिलाओं का क्रियाकलाप उन सामाजिक अभिवृत्तियों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित होता है जो किसी काल.विशेष एवं स्थान विशेष में किसी सामाजिक वैचारिकी की उपज होती हैं। विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास के स्तर में यह सामाजिक वैचारिकी भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरणार्थ-विकास के एक विशिष्ट स्तर में काम करने की क्षमताए उच्च सामाजिक परिस्थिति का सूचक हो सकती है। विकास की दूसरी अवस्था में जब समाज असमान वर्गों में विभाजित हो जाता हैए तब आराम काम के स्थान पर सामाजिक.परिस्थिति का

सूचकांक बन जाता है। लैंगिक असमानता यद्यपि सामाजिक संरचना के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त है, किन्तु इसका जो स्वरूप आर्थिक जीवन में देखने को मिलता है, वह अन्य क्षेत्रों में नहीं।

विविध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि उन महिलाओं की आर्थिक सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है जिसके परिवार का आर्थिक.स्तर अपेक्षाकृत निम्न पाया जाता है। यह सर्वविदित होता है कि प्रत्येक देश में आर्थिक क्रियाओं में दो आधारों पर अंतर किया जाता है- संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र।

संगठित क्षेत्र में उद्योग का व्यापार जितने अधिक व्यापक पैमाने पर किया जाता है उतने व्यापक पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में नहीं। असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की भांति मजदूर संघों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों का अभाव होता है। चूँकि असंगठित क्षेत्र में मजदूर संघ या तो नहीं होते या निष्क्रिय होते हैं, अतरू इस क्षेत्र के श्रमिकों को सौदेबाजी का वह अनुकूल अवसर प्राप्त नहीं होता, जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त है। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की बड़ी संख्या कार्यरत है। परम्परागत रूप से भारतीय समाज में महिला कार्मिकों का एक महत्वपूर्ण भाग कृषिक्षेत्र में संलग्न रहा है और कृषि कार्यों और स्व.रोजगार के क्षेत्र में इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का स्व.रोजगार मुख्यतः छोटे-मोटे धंधे, खाद्य सामग्री की तैयारी या अन्य छोटे रोजगार जैसे बीड़ी बनाना, कपड़ों की सिलाई, लेस बनाना, अगरबत्ती, दियासलाई बनाना ईत्यादि में मुख्य रूप से केन्द्रित है। परिवार में केन्द्रित जिन उद्योगों में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक पाई जाती है, वे गन्ना. उद्योग, सूत कातना, जूट की वस्तुएँ बनाना, काफी बनाना, रस्सी बनाना, रेशम के कीड़े पालना, मक्खन, घी, जैम, जेली बनाना और तम्बाकू सुर्ती बनाना है।

यह स्थिति न केवल महिलाओं की स्थिति के लिए घातक है वरन, आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी असंतुलित हो जायेगी। परिणामतः भारत के सामाजिक.आर्थिक विकास की वृहद् प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण महिला की स्थिति की विवेचना करते हुए ज्ञात होता है कि एक ओर तो सामाजिक.सांस्कृतिक मान्यताओं, मर्यादाओं तथा पुरूष. प्रधान समाज एवं पितृ.सत्तात्मक पारिवारिक संगठन के परिणाम स्वरूप महिलाओं की प्रतिबंधित आर्थिक.सहभागिता को विस्तृत करने में सामाजिक.आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम और महिला आरक्षण कार्यक्रम ने पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया है। किन्तु दूसरी ओर विकास की इसी प्रक्रिया निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि हम ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक शक्ति एवं उनकी

प्रभावशीलता का विस्तार चाहते हैं तो इसके लिए यह आवश्यक है कि पुरूष प्रधान समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो। परिवार में महिलाओं के समाजीकरण एवं उसकी भूमिका के नवीन प्रतिमानों का विकास हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो सही मायने में ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सषक्त हो सकती है, जिससे भारतीय ग्रामीण समाज भी शहरीय समाज की भांति आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त होगा।

महिलाओं का देश की अर्थव्यवस्था में भी प्राचीनकाल से ही किसी-न-किसी रूप में योगदान रहा है। महिलाओं के आर्थिक एवं उत्पादक कार्यों का निर्धारण मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही चला रहा है, क्योंकि 'आखेट युग' में यद्यपि स्त्रियां शिकार करने नहीं जाती थीं, लेकिन उसको परिवार में ही रहकर विभिन्न कार्य जैसे अनाज साफ करना व उसे काटना छानना, पीसना आदि प्रमुख थे। जब पशुपालन युग प्रारम्भ हुआ तो उसमें भी महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते थे जिनमें पशुओं की देखभाल करना, दूध से अनेक व्यंजन बनाना, पशुओं की सेवा टहल करना आदि प्रमुख थे। इसके बाद जब कृषि युग आया तब महिलाओं को जो विभिन्न घरेलू कार्य करने पड़ते थे, उनमें घर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना टोकरियाँ बनाना तथा कूटना-पीसना आदि प्रमुख थे।

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व तक महिलाएँ घर पर रहकर ही विभिन्न प्रकार से पुरुषों को सहायता करती थीं। जिस समय देश में औद्योगिक क्रान्ति हुई तो उसमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं ने पारिवारिक सीमाओं का परित्याग करके घर से बाहर भी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि औद्योगिक जगत में महिलाओं को अब श्रम करने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगे। इसका प्रमुख कारण यह भी रहा कि मालिक, महिला श्रम सस्ती दर पर प्राप्त लेते थे। जिस समय उन्नीसवी शताब्दी का समापन हुआ तो उस समय सम्पूर्ण महिलाओं का वर्ग 'श्रमजीवी वर्ग के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर चुका था। उस समय श्रमिक महिलाओं की स्थिति का प्रतिशत विभिन्न देशों में इस प्रकार था-अमेरिका में **33** प्रतिशत, जर्मन में **36** प्रतिशत, पोलैण्ड में **44.8** प्रतिशत, रूस में **45** प्रतिशत तथा भारत में **27** प्रतिशत जो विभिन्न व्यवसायों में आज भी व्यापक रूप से कार्यरत हैं।

यद्यपि भारत में महिलाओं के घरेलू कार्यों का निर्धारण प्राचीन काल में ही हो गया था, लेकिन इन कार्यों में महिलाओं की सहभागिता में उन्नीसवी सदी के अन्तिम चरण में काफी तेजी आ गयी थी, जिसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। जैसे-जैसे शैक्षिक प्रचार होता गया वैसे ही वैसे सरकार के प्रशिक्षणयुक्त व्यवसायों में महिलाओं की सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। सन् 1920 में महिलाओं ने व्यावसायिक क्षेत्र में अपना एक निश्चित स्थान बना लिया था। स्वतन्त्र भारत में भी मध्यम वर्गीय महिलाओं के कार्य करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी तथा उनकी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न कानून पारित किए गए। मध्यम वर्गीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण श्रीमति पी. सेन गुप्ता ने अपनी ‘वीमेन वर्कर्स ऑफ इण्डिया‘ (भारत की कार्यरत महिला) में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-

1. शैक्षिक कार्य - मध्यम वर्गीय महिलाओं का सबसे प्रथम व प्रमुख कार्य शिक्षण कार्य है। इसीलिए आज महिलाएँ शिक्षिका, प्रोफेसर, इन्स्पेक्टर या मुख्य आचार्य के पद पर कार्य कर रही है।
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य - मध्यम वर्गीय महिलाओं का द्वितीय प्रमुख कार्य स्वास्थ्य कार्य है। इसलिए आज स्वास्थ्य विभाग में दाई, परिचायिका स्वास्थ्य निरीक्षिका, सामान्य डॉक्टर या चिकित्सक के पद पर अधिकांश महिलाएं कार्य कर रही है।
3. कारखाना सम्बन्धी कार्य प्रायः- आज विभिन्न प्रकार के कारखानों में भी विभिन्न कार्यों के लिए महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है, जिनमें कपड़े, तम्बाकू, आटा मिले, तेल तथा काजू आदि के कारखाने प्रमुख है।
4. खान सम्बन्धी कार्य - कोयला, इस्पात, पत्थर, अभ्रक, मैगनीज, इस्पात आदि खानों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।
5. बगीचे (बागान) सम्बन्धी कार्य - आज महिलाएँ चाय, कॉफी, रबर के बागानों में भी पर्याप्त संख्या में कार्य कर रही है।
6. कला सम्बन्धी कार्य - प्राचीन काल में नृत्य करने वाली महिलाओं को आलोचना युक्त दृष्टिकोण से देखा जाता था क्योंकि यह कार्य बाह्य बालाओं या वेश्याओं का ही माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज समाज में नृत्य, संगीत तथा कला को काफी महत्त्व दिया जाने लगा है। इसीलिए इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश सम्मानीय हो गया है।

7. विधिक क्षेत्र में कार्य - आज महिलाओं ने विधिक क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, क्योंकि आजकल वकील, बैरिस्टर या न्यायाधीशों के पद पर महिलाएँ कार्य कर रही है, विधिक क्षेत्र के अतिरिक्त कूटनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएँ कार्य कर रही हैं।

8. ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी कार्य - आधुनिक काल में सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ग्राम सेविकाओं के पद पर महिलाओं को नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में भी महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है।

9. सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य - आज महिलाओं से सस्ती दरों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाते हैं, जिनमें नये रास्तों का निर्माण, भवन निर्माण कार्य तथा नदी योजनाओं में बांध निर्माण आदि का कार्य प्रमुख है।

10. लघु व्यवसाय - महिलाएं कुछ व्यावसायिक कार्य घर पर रहकर ही करती हैं, क्योंकि इनमें मशीनो तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इन कार्यों में मछली पकड़ना, बीड़ी बनाना, रंगाई, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई आदि का कार्य करना, छपाई का कार्य करना, खिलौने बनाना आदि प्रमुख कार्य हैं। कुछ महिलाएँ घर पर रहकर ही पापड़, आचार भी बनाती है। घर पर कागज के थैले आदि भी तैयार करना, गत्ते के डिब्बे बनाना, चटाई व टोकरियाँ आदि बनाना भी इन्हीं कार्यों में शामिल होते हैं।

11. कुछ महिलाएं रेलवे, गोदी तथा अन्य विभागों में भी परिचारिकाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।

12. अन्य कार्य - उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त महिलाएँ दुकानों, दफ्तरों तथा वितरण केन्द्रों पर भी कार्य कर रही हैं। महिलाएं सहायक, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर आदि के पदों पर भी कार्य करती हैं। आज बहुत सी महिलाएं सिलाई-कढ़ाई की दुकानों पर कार्य ही नहीं कर रही है, अपितु बैंकों आदि से ऋण प्राप्त कर स्वयं इनके केन्द्रों का संचालन कर रही हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं है। जिस महिला को कुछ समय पूर्व तक अबला, निम्न स्तर की स्त्री माना जाता था, आज वही महिला पुरुषों से सम्बन्धित क्षेत्रों में उनसे आगे निकल गयी है।

2. शोध समस्या शीर्षक

जिला बैतूल की शहरी एवं ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में

आर्थिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन

3. अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध हेतु शोध अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल को चयनित किया गया गया है। मध्यप्रदेश के दक्षिण में स्थित यह जिला आदिवासी संस्कृति को अपने में संजोये हुये है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आधुनिकीकरण तथा साधनों एवं संसाधनों की उपलब्धता के चलते जिला बैतूल के सुदूर ग्राम भी आसानी से शहरों की पहुंच तक सुविधा मुहैया करा देते है। आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल के दक्षिण में सतपुडा की श्रृंखलाओं में फैला जुआ है। इसके उत्तर में होशंगाबाद जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश का अमरावती जिला, पूर्व में छिंदवाड़ा जिला और पश्चिम में पूर्व निमाड़ अर्थात खण्डवा जिला है। आदिवासी संस्कृति से भरा यह जिला उत्तरी भाग में बुदेलखण्ड भाषा और संस्कृति को स्पर्शित करता है।

यह मुख्य रूप से पहाडी जिला है। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। प्रमुख भाषाये हिन्दी, मराठी, गोंडी और कोरकू है। सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिन्दी है। आदिवासी लोग गोडी व कोरकू भाषा बोलते है जिले में अन्य प्रांतो से आये लोग का बसे हुये है जो कि अंगे्रजी, बंगाली, गुजराती, सिन्धी और पंजाबी भाषी है। इस जिले मे विभिन्न धर्मो को मानने वाले लोग है। परन्तु सर्वाधिक लोग (86 प्रतिशत) हिन्दू है। इसके अतिरिक्त ईस्लाम, जैन, ईसाई सिख भी हेै। सभी धर्मो का अपने उपासना स्थल है। विगत वर्षो मे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी बढ़े है। जनसंख्या मे बौद्धो का स्थान तीसरा है जाति की बात करे तो सभी चार जातियों (ब्राम्हण, क्षि़त्रय, वैश्य व शूद्र) के लोग यहां अवस्थित हैं। विभिन्न धर्मो और जाति, उपजातियों के होने के बाद भी यहां का सामाजिक जीवन शान्त है लोग अपनी अपनी मान्यताओं और परम्पराओं का किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना पालन करते है। कुछ घटनाओं को छोड के तो यहां का साम्प्रदायिक व सामाजिक जीवन सद्भावना पूर्ण है। लोग अपने त्यौहार तो मनाते ही है साथ मे दूसरे धर्मो के त्यौहारों मे भी सम्मिलित होते है। बेैतूल जिले का सामाजिक जीवन, सादा व सरल है। इस जिले की अधिकांश आबादी गांवो मे रहती है। गांवो के अधिकांष लोग कच्चे घरों या झोपड़ियो मे रहते है। वेषभूषा सादी व जीवन स्तर अति सामान्य है। वही सम्पन्न लोग पक्के मकानों मे रहते है व सुख सुविधा युक्त जीवन चर्या व्यतीत करते हैं। लोगों के घरेलू एवं सामाजिक जीवन विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद से पूर्ण होते है। गावो के आदिवासी लोग सामूहिक

नृत्य और गान करते है। त्यौहारों के अवसर पर अच्छे वस्त्र धारण करते है कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र मिली जुली संस्कृति के तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी परम्परायुक्त जीवन शैली है।

4. उद्देश्य

1. जिला बैतूल के जनजातीय समुदाय की शहरी महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता हेतु जागरूकता के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. जिला बैतूल के जनजातीय समुदाय की ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता हेतु जागरूकता के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

5. परिकल्पना

1. जिला बैतूल के जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता हेतु जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

6. शोध परिसीमन

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य के जिला बैतूल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से परिसीमित है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु जिला बैतूल की तहसील बैतूल के परिक्षेत्र में आने वाले ग्रामीण एवं शहरी प्रत्येक क्षेत्र से 40 महिलाओं अर्थात कुल 80 महिलाओं का यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से न्यादर्श हेतु चयन किया गया।

7. शोध प्रविधि

शोध विधि शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसका निर्धारण शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न.भिन्न प्रकार के शोधों के लिए अलग.अलग शोध की विधि अपनायी जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में सर्वेक्षण एक समस्या से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन का महत्वपूर्ण साधन व उपकरण है। शैक्षिक क्षेत्र में सर्वेक्षण विवरणात्मक अनुसंधान का एक अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग रहा है। शोधकर्ता द्वारा चयनित समस्या वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत आती है जिसमें शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

8. प्रदत्तों का विष्लेषण

सारणी क्रमांक 1
जिला बैतूल में जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण
महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक विचलन	माध्य मानक त्रुटि	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र	40	14.2704	2.4072	0.1390	0.185	0.4514
2	ग्रामीण क्षेत्र	40	14.3539	2.1188	0.1223		

स्वतंत्रता की कोटि = 78
पी-मूल्य 0.6519
0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक

सारणी क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता के सांख्यिकीय विश्लेषण में शहरी क्षेत्र की महिलाओं से सम्बन्धित प्राप्तांकों का माध्य 14.2704 माध्य विचलन 2.4072 एवं माध्य मानक विचलन 0.1390 पाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आर्थिक सहभागिता से सम्बन्धित प्राप्तांकों का माध्य 14.3539 माध्य विचलन 2.1188 एवं माध्य मानक विचलन 0.1223 पाया गया है। सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता के विश्लेषण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से सम्बन्धित प्राप्तांकों की माध्य मानक त्रुटि 0.185, टी-मूल्य 0.4514 तथा पी-मूल्य 0.6519 पाया गया है, जो स्वतंत्रता की कोटि 78 के लिये 0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक है।

आरेख क्रमांक 1

जिला बैतूल में जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता का दण्ड आरेखीय निरूपण

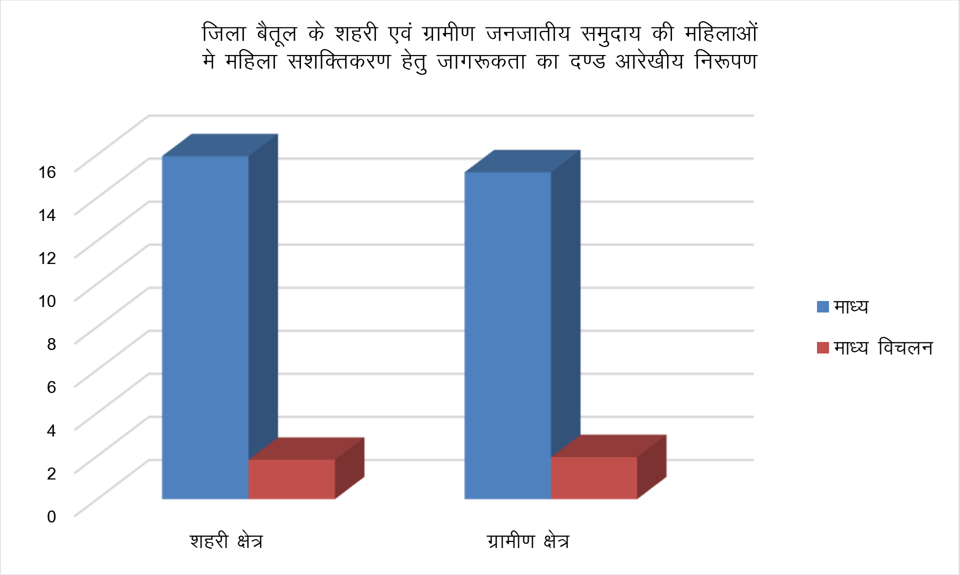

आरेख क्रमांक 2

जिला बैतूल में जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता का पाई आरेखीय निरूपण

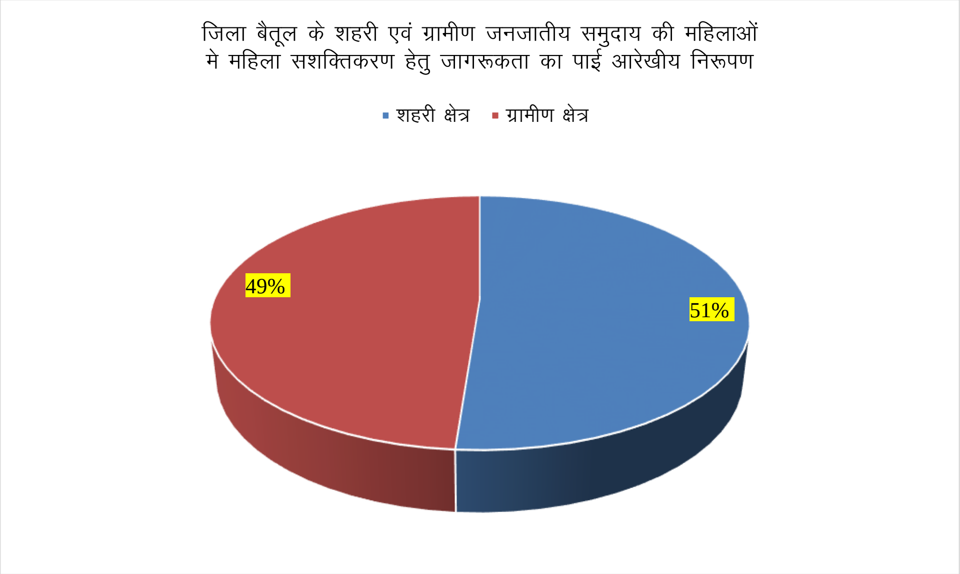

9. परिकल्पनाओं का परीक्षण

सारणी क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा आर्थिक सहभागिता में रूचि दर्शायी गयी है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा भी आर्थिक सहभागिता में रूचि दर्शायी

है। आर्थिक सहभागिता में रूचि के अन्तर्गत जिला बैतूल के शहरी क्षेत्र की जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा 50 प्रतिशत रूचि तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा भी समान रूप से 50 प्रतिशत रूचि दर्शायी गयी है। इस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है कि जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय समुदाय की महिलाओं में कोई अन्तर नहीं है। अतएव पूर्व निर्मित परिकल्पना क्रमांक 4 - ’’जिला बैतूल के जनजातीय समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं मे आर्थिक सहभागिता हेतु जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है’’, को स्वीकृत किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुड एंड हैट, (2005) ’सामाजिक अनुसंधान का प्रणाली विज्ञान’, प्रकाशल पृ.-129
2. सेन्सेस आफ इण्डिया - 1991 (मध्यप्रदेश पार्ट) स्पेशल टेबिल्स शेड्यूल ट्राइबल भोपाल (म.प्र.)
3. शर्मा, डॉ॰ श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2015, पृ.1 3
4. शर्मा, डॉ॰ श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2015, पृ.7
5. दुबे, श्यामाचरण, आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, देहली, पृ. 10-11
6. शर्मा डॉ॰ श्रीनाथ, जनजातीय समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल वर्ष 2015 पृ. 12
7. दीक्षित कुमार डॉ॰ ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाला अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.3
8. जैन डॉ॰ पुखराज, भारत की सांस्कृतिक विरासत, पृ. 222-23 2 जैन डॉ॰ पुखराज, भारत की सांस्कृतिक विरासत, पृ. 222-23
9. दुबे श्यामाचरण, आदिवासी भारत, राजकमल, प्रकाशन देहली पृ.3
10. दीक्षित, कुमार डॉ॰ ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.5
11. शर्मा अनुपम, शर्मा उपासना और वाष्र्णेय संगीता, (2013), ‘‘इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाऐं समस्याऐं एवं संभावनाऐ’’, अल्फा पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली, पुस्तक
12. पूनम एस. (2009) ”वूमेन एण्ड डवलपमेंट इन इण्डिया“ कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पुस्तक
13. कार्लिंगर, एफ., ″फाउण्डेशन आफ विहैवियरल रिसर्च″, न्यूयार्क, हाल्ट राइनहर्ठ एण्ड विन्सटन, 1966
14. माउली, जी. के., ″साइन्स आफ एजूकेशनल रिसर्च″, न्यू देहली, यूरेशिया पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., 1964
15. मुकर्जी. रवीन्द्र नाथ, ″सामाजिक शोध व साँख्यिकी″, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2009
16. आर्य, डोनाल्ड (1972), ’इट आल इन्ट्रोडक्शन टू रिसर्च इन एजूकेशन’, न्यूयार्क 1972

...... 00 ......